राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(02)न्याय/2023 जयपुर दिनांक 02.06.2025

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित जिला न्यायालयों का गठन करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित जिला न्यायालय का नाम	प्रादेशिक सीमा का क्षेत्राधिकार	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला न्यायालय, फलौदी	सम्पूर्ण राजस्व जिला फलौदी	फलौदी
2	जिला न्यायालय, डीडवाना	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीडवाना-कुचामन	डीडवाना
3	जिला न्यायालय, खैरथल	सम्पूर्ण राजस्व जिला खैरथल-तिजारा	खैरथल
4	जिला न्यायालय, ब्यावर	सम्पूर्ण राजस्व जिला ब्यावर	ब्यावर
5	जिला न्यायालय, बाड़मेर	सम्पूर्ण राजस्व जिला बाड़मेर	बाड़मेर
6	जिला न्यायालय, डीग	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीग	डीग
7	जिला न्यायालय, कोटपूतली	सम्पूर्ण राजस्व जिला कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली
8	जिला न्यायालय, सलूम्बर	सम्पूर्ण राजस्व जिला सलूम्बर	सलूम्बर

नोट-उपरोक्त नवसृजित न्यायालयों के सृजन स्वरूप नवसृजित जिला न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्तमान में कार्यरत जिला न्यायालयों से कम किया जाता है एवं वर्तमान में कार्यरत जिला न्यायालय, बालोतरा का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला बाडमेर से बदलकर बालोतरा किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

02.6.25

(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, फलौदी/डीडवाना-कुचामन/खैरथल-तिजारा/ब्यावर/बाडमेर/डीग/कोटपूतली-बहरोड/ सलूम्बर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

02.6.25

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव